

न्यायालय—श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—897 / 2003
 संस्थित दिनांक—28.07.1999
 फाइलिंग क.234503000191999

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा,
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

1—बिसाहुसिंह पिता चैनलाल, उम्र—41 वर्ष,
 निवासी—ग्राम सालेटेकरी, थाना बिरसा,
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

2—शुक्ला पिता चतुरसिंह, उम्र—58 वर्ष,
 निवासी—ग्राम सालेटेकरी, थाना बिरसा,
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

3—जीवन पिता सुकल, उम्र—61 वर्ष,
 निवासी—ग्राम सालेटेकरी, थाना बिरसा,
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

4—सावन पिता महागु, उम्र—52 वर्ष,
 निवासी—ग्राम सालेटेकरी, थाना बिरसा,
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **आरोपीगण**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक—18 / 11 / 2016 को घोषित)

1— आरोपीगण के विरुद्ध धारा—9, 39 / 51 वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक—26.06.1999 को थाना बिरसा अंतर्गत सूखा तालाब नर्सरी में बिना किसी अनुज्ञा/अनुज्ञप्ति के प्रवेश कर वन्यजीव सांभर को लाठियों से मारकर शिकार किया तथा पशु ट्रॉफी निकालकर अपने आधिपत्य में छिपाकर रखा।

2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि पुलिस चौकी सालेटेकरी, थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ अशोक कुमार को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक—26.06.1999 को ग्राम सालेटेकरी के बिसाहू गोंड, शुक्ला गोंड, जीवन गोंड, सावन गोंड ने सूखा तालाब के बीच नर्सरी में वन्य प्राणी सांभर का शिकार किया है। उक्त सूचना को रोजनामचा सान्हा क्रमांक—751 में दर्ज कर वह हमराह स्टाफ के साथ

आरोपीगण के पास गया और उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि सूखा तालाब के पास नर्सरी में लाठी से मारकर उन्होंने सांभर का शिकार किया था। आरोपीगण से पूछताछ कर उनके मेमोरेण्डम कथन लेख किये गए और मेमोरेण्डम कथन में आरोपी बिसाहू के बताए अनुसार उसके खेत से सींग जप्त किये गए। आरोपी शुक्ला के बताए अनुसार आरोपी जीवन तथा सुखदास के साथ मिलकर सांभर का चमड़ा नर्सरी से खोदकर एक सांभर का चमड़ा जप्त किया गया। आरोपी बिसाहू के मेमोरेण्डम कथन लेख किये गए जिसमें आरोपी शुक्ला द्वारा दिए गए मेमोरेण्डम की पुष्टि होती थी। आरोपीगण के मेमोरेण्डम कथन अनुसार नर्सरी से खोदकर एक सांभर का चमड़ा जप्त किया गया। आरोपी के मेमोरेण्डम के आधार पर एक चाकू, आरोपी सुखदास के मेमोरेण्डम के आधार पर एक लाठी की जप्ती की गई थी। उपरोक्त आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-58/1999, अंतर्गत धारा-9, 39, 49बी, 50, 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौके का पंचनामा, जप्तीनामा, आरोपीगण व साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपीगण के विरुद्ध सदर धारा का अपराध पाए जाने से सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- प्रकरण में आरोपी सुखदास फौत हो जाने से एवं मृत्यु प्रमाणपत्र अभिलेख पर प्रस्तुत किये जाने से उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की गई है।

4- आरोपीगण को धारा-9, 39/51 वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य देना व्यक्त किया गया है, परंतु बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-26.06.1999 को थाना बिरसा अंतर्गत सूखा तालाब नर्सरी में बिना किसी अनुज्ञा/अनुज्ञप्ति के वन्यजीव सांभर को लाठियों से मारकर शिकार किया तथा पशु ट्रॉफी निकालकर अपने आधिपत्य में छिपाकर रखा ?

विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-

6- अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी महेश अ.सा.1 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह वर्ष 1999 में सालेटेकरी चौकी में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। आरोपीगण से सांभर का चमड़ा और सिंग जप्त किये गए थे। आरोपी बिसाहू के खेत से सींग जप्त हुए थे। आरोपी ने नर्सरी के पास सांभर के चमड़े को जमीन में गाड़ दिया

था, जिसे खोदकर आरोपी ने निकाला था और उसे जप्त किया था। अन्य आरोपीगण से क्या-क्या जप्त हुआ था, उसे याद नहीं है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि जिस स्थान से चमड़ा जप्त हुआ था, वहां कोई भी आ जा सकता था। साक्षी ने यह कहा है कि आरोपी बिसाहू ने सींग निकालकर दिया था, अन्य किसी आरोपी से क्या जप्त हुआ था, यह वह नहीं बता सकता।

7— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी अशोक आर्मी अ.सा.6 का न्यायालय के समक्ष परीक्षण हुआ था, परंतु साक्षी बीमारी के कारण बोल न पाने की स्थिति में उसे अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। साक्षी ने विवेचना में की गई कार्यवाही को न्यायालय के समक्ष स्वीकार कर कहा है कि उसे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि सालेटेकरी के बिसाहू गोंड, शुक्ला गोंड, जीवन गोंड, सावन गोंड तथा सुखदास ने मिलकर सूखा तालाब के पास नर्सरी में सांभर का शिकार किया था। आरोपीगण से पूछताछ करने पर आरोपीगण ने बताया था कि उन्होंने सूखा तालाब के पास नर्सरी में सांभर का शिकार एवं मटन बांटकर खाया था। उसने साक्षियों के समक्ष पंचनामा प्रदर्श पी-14 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपीगण के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-5 उनके बताए अनुसार लेख किये थे, जिन पर उसने हस्ताक्षर किये थे तथा आरोपीगण से जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-6 लगायत प्रदर्श पी-10 अनुसार सांभर का चमड़ा, सींग, कुल्हाड़ी, लाठी इत्यादि जप्त किया था। उसने आरोपीगण को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-14 लगायत प्रदर्श पी-18 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को साक्षी ने इंकार किया है कि उसने आरोपीगण के मेमोरेण्डम कथन अपने मन से लेख किया था। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि उसने साक्षीगण के बयान उनके बताए अनुसार लेख किये थे। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि आरोपीगण के विरुद्ध उसने झूठा प्रकरण तैयार किया था।

8— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी डॉ. आर.एस. उपाध्याय अ.सा.7 वह दिनांक-29.06.1999 को पशु चिकित्सक के पद पर बैहर में पदस्थ था। उक्त दिनांक को चौकी प्रभारी सालेटेकरी के लिखित आवेदन के आधार पर उसने चमड़ा एवं सींग का परीक्षण किया था। चमड़ा एवं सींग एक ही प्राणी के थे। साक्षी परीक्षण उपरांत अपने अभिमत में कहा है कि चमड़ा हिरण प्रजाति के पशु का था, जिसकी मृत्यु करीब 10-15 दिन पहले हुई थी। उसके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-20 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि पुलिसवालों के उपरोक्त प्रतिवेदन के आधार पर उसने अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। साक्षी ने यह भी कहा है कि वह वह मांस किस प्राणी का था वह नहीं बता सकता। बचाव पक्ष के इस सुझाव को साक्षी ने इंकार किया है कि जिस पशु के चमड़े व सींग का उसने परीक्षण

किया था, वह चमड़ा व सींग बकरे का था।

9— कुंवरलाल अ.सा.5 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-26.06.1999 को सालेटेकरी चौकी में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। आरोपी शुक्ला ने उसके सामने प्रधान आरक्षक अशोक कुमार को बताया था कि जंगल में हिरण का शिकार कर गोشت खा लिया था और चमड़ा जंगल में तथा सींग मेढ़ में गाड़ दिया था। उसने प्रधान आरक्षक के साथ जंगल जाकर दो मीटर लंबे चमड़े तथा एक मीटर लंबे सींग जप्त किये थे। चमड़ा आरोपी बिसाहू ने निकालकर दिया था। सभी आरोपीगण ने मिलकर शिकार किया था। आरोपीगण द्वारा शिकार किये जाने की जानकारी उसे मुखबिर द्वारा प्राप्त हुई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा कि किस आरोपी से क्या वस्तु जप्त हुई थी, वह नहीं बता सकता। आरोपीगण से क्या बयान लिये गए थे, इसकी उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि अनुभव के आधार पर वह बता रहा है कि जो चमड़ा जप्त हुआ था, वह हिरण का था। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि वह झूठी गवाही दे रहा है।

10— अभियोजन साक्षी आर.एस. मरावी अ.सा.4 का कहना है कि वह दिनांक-29.06.1999 को थाना बिरसा में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उसने अपराध क्रमांक-58/99, अंतर्गत धारा-9, 39, 49(बी), 50, 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

11— अभियोजन साक्षी राधेलाल अ.सा.2 ने कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-1 लगायत 5 के अ से अ भाग पर एवं प्रदर्श पी-6 लगायत प्रदर्श पी-10 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मौका नक्शा प्रदर्श पी-11 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण के बताए अनुसार सांभर का चमड़ा, सींग इत्यादि जप्त किया गया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर पुलिस कथन प्रदर्श पी-12 पुलिस को नहीं लेख कराना व्यक्त किया।

12— अभियोजन साक्षी सुंदर अ.सा.3 ने कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। आरोपी सुखदास की मृत्यु हो गई। उसके सामने आरोपी से पूछताछ नहीं की गई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इंकार किया कि उसके सामने पंचनामा बनाया गया था। साक्षी ने मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-5 उसके सामने लेख किये जाने से इंकार किया। साक्षी ने कहा है कि पुलिस ने उससे हस्ताक्षर करवा लिये थे। साक्षी ने अपने सामने मौकानक्शा प्रदर्श पी-11 नहीं बनाया जाना व्यक्त किया एवं पुलिस कथन प्रदर्श पी-13 पुलिस को नहीं लेख कराना व्यक्त किया।

13— अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपीगण द्वारा सांभर का शिकार किये जाने की मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर विवेचक अशोक कुमार प्रधान आरक्षक द्वारा उपरोक्त सूचना को रोजनामचे में दर्ज कर हमराह स्टाफ के साथ मौके पर जाकर जांच की गई थी। अभियोजन कहानी अनुसार आरोपी बिसाहू का मेमोरेण्डम कथन लेख किया गया था और उसके मेमोरेण्डम कथन में आरोपी ने बताया था कि उसने आरोपी जीवन, शुक्ला, सावन व सुखदास के साथ मिलकर सांभर का शिकार किया था। उसके पश्चात् शेष आरोपीगण के मेमोरेण्डम लेख किये गए थे और आरोपीगण से जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-6 लगायत प्रदर्श पी-10 की जप्ती की कार्यवाही की थी। मेमोरेण्डम कथन साक्षी राधेलाल अ.सा.2 तथा साक्षी सुंदर अ.सा.3 के समक्ष लेख किया जाना बताया गया है। उपरोक्त साक्षी राधेलाल अ.सा.2 तथा साक्षी सुंदर अ.सा.3 ने यह कहा है कि उसके समक्ष न तो किसी भी आरोपीगण का मेमोरेण्डम लेख किया गया और न ही आरोपीगण से वन्य प्राणी सांभर का चमड़ा, मांस इत्यादि की जप्ती हुई और न ही आरोपीगण को विवेचक द्वारा गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में विवेचक अशोक आर्मी अ.सा.6 को बीमारी की वजह से बोल नहीं पाने की स्थिति में अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियोजन साक्षी कुंवरलाल अ.सा.5, महेश अ.सा.1 ने अभियोजन कहानी का समर्थन किया और कहा है कि आरोपीगण से सांभर का चमड़ा वह सींग जप्त किये गए थे, परंतु किस आरोपी से कौन सा सामान जप्त किया गया था, वह उन्हें याद नहीं है। उपरोक्त साक्षी पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं और उनके हितबद्ध साक्षी होने के बिन्दु से इंकार नहीं किया जा सकता।

14— अभियोजन को सर्वप्रथम आरोपीगण के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर वन्य प्राणी सांभर का चमड़ा व सींग की जप्ती संदेह से परे प्रमाणित करना चाहिए था, जो कि स्वतंत्र साक्षियों द्वारा समर्थन नहीं किया जाने से संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता, इसके अतिरिक्त विवेचक अशोक आर्मी अ.सा.6 जिसके द्वारा विवेचना की समस्त कार्यवाही की गई थी, को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है और सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वयं द्वारा की गई विवेचना की कार्यवाही को स्वीकार किया है, परंतु इससे अभियोजन पक्ष को लाभ प्राप्त नहीं होता और घटना संदेहास्पद हो जाती है। इस स्थिति में आरोपीगण को संदेह का लाभ दिया जाना उचित होगा। अतएव आरोपीगण को धारा-9, 39, 49बी/51 वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

15— मामले में आरोपीगण दिनांक-29.06.1999 से दिनांक-09.08.1999 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहें हैं। जिसके संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र तैयार किया जाये।

16— प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा 437 (क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

17— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति सांभर का चमड़ा व सींग वन विभाग को अपील अवधि पश्चात् विधिवत् निराकरण हेतु सौंपी जावे तथा जप्तशुदा कुल्हाड़ी, डण्डा, चाकू मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

सामान्य
(शासकीय / विधिक)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)